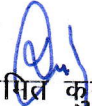


भाग-3
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है। क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दे।	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत	महाप्रबंधक म.प्र.जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई दमोह (म.प्र.) के Online प्रस्ताव FP/MP/PIPELINE/145254/2021 में वन मंडल अधिकारी दमोह के द्वारा प्रस्ताव के Online Part-II में की गई अनुशंसा के आधार पर वन मंडल दमोह के परिक्षेत्र सिंगौरगढ के वनकक्ष क्रमांक RF313 एवं सिग्रामपुर के वनकक्ष क्रमांक PF73 में जबेरा-तेन्दुखेड़ा समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य क्षेत्र एवं ईको सेंसेटिव क्षेत्र में पानी की पाईप लाईन बिछाने हेतु सीमांकित वनभूमि रकवा 0.2525 हे. उपयोगार्थ देने की अनुशंसा की जाती है। अंतिम अनुमति के समय निर्देशित शर्तों को मान्य करना होगा। चूंकि प्रस्ताव में प्रभावित 0.2525 हे. वनभूमि वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य क्षेत्र एवं Eco Sensitive Zone के अंतर्गत है। अतः प्रस्ताव में Wild life Clearance Proposal No FP/MP/PIPELINE/5573/2020 में भारत सरकार/वरिष्ठ की अनुमति के उपरांत ही वनभूमि रकवा 0.2525 हे. उपयोगार्थ हेतु आगामी कार्यवाही की जावे।

तिथि:- 07/09/2020
स्थान:- सागर


(अनिल कुमार दुबे)
मुख्य वन संरक्षक
सागर वृत्त सागर